

न्यायालय :-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-113 / 2007

संस्थित दिनांक-26.02.2007

फा.नंबर-234503000132007

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

1. स्वतंत्र श्रीवास्तव पिता रुद्रनारायण, उम्र-50 वर्ष, निवासी-मलाजखण्ड,
2. तारेन्द्र पटले पिता टहलसिंह उम्र-34 वर्ष, निवासी-बिसतवाही
3. वीरेन्द्र पटले पिता टहलसिंह उम्र-36 वर्ष, निवासी-बिसतवाही
4. इन्द्रपाल पिता शोभासिंह, उम्र-23 वर्ष, निवासी-करनपुरा, कटनी
5. बलदेव ठाकरे पिता-खरनलाल उम्र-26 वर्ष, निवासी-भटलाई
6. प्रवीण साखान पिता सत्येन्द्र बाखान, उम्र-32 वर्ष,
निवासी-मलाजखण्ड जिला बालाघाट।

— — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-15 / 09 / 2017 को घोषित)

01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-384, 506, 147 / 34 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.12.06 के पूर्व लगातार, स्थान कॉपर हाउस मलाजखंड थाना अंतर्गत प्रार्थी राजेश्वर यादव व आर.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी मलाजखंड में कार्यरत लोगों को 50,000/-रुपए देने के लिए, उन्हें साशय भय में डालकर क्षति कारित करने बेईमानी से उत्प्रेरित कर प्रार्थी राजेश्वर यादव व आर0के0 ट्रांसपोट कंपनी मलाजखंड में कार्यरत लोगों को वहां काम से मना करने के लिए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा

विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहे जिसका सामान्य उद्देश्य कार्य में बाधा डालना था तथा उस जमाव के सदस्य रहते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल का प्रयोग किया।

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी राजेश यादव ने थाना आकर एक लिखित आवेदन दिया था कि आर.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखण्ड में ओवर बर्डन हटाने का कार्य किया जा रहा था, तभी आरोपीगण द्वारा लगातार आर.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी कॉपर हाउस कैम्प में आकर दबाव डाल रहे थे कि कॉपर प्रोजेक्ट में काम करने हेतु 50,000 रुपये की मांग कर धमकी देकर रुपये देने के लिए उत्प्रेरित कर रहे थे तथा कंपनी के खिलाफ मानहानि कारक लेख प्रकाशित करने की धमकी दे रहे थे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी स्वतंत्र श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया तथा शेष आरोपीगण द्वारा मान.उच्च न्यायालय के जमानत आदेश पेश करने पर न्यायालय के आदेश पर उन्हें जमानत-मुचलके पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 20/07 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-384, 506, 147/34 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

- 01.** क्या आरोपीगण ने दिनांक 19.12.06 के पूर्व लगातार, स्थान कॉपर हाउस मलाजखंड थाना अंतर्गत प्रार्थी राजेश्वर यादव व आर.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी मलाजखंड में कार्यरत लोगों को 50,000 /— रूपए देने के लिए, उन्हें साषय भय में डालकर क्षति कारित करने बेईमानी के उत्प्रेरित किया ?
- 02.** क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी राजेश्वर यादव व आर.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी मलाजखंड में कार्यरत लोगों को वहां काम से मना करने के लिए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया ?
- 03.** क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्य रहे, जिसका सामान्य उद्देश्य कार्य में बाधा डालना था तथा उस जमाव के सदस्य रहते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल का प्रयोग किया ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 पर निष्कर्ष:-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी उपेन्द्र क्षारी अ.सा.01 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 19.12.2006 को थाना मलाजखंड में पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी राजेश्वर यादव प्रबंधक आर.के. ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक लिखित आवेदन थाने में दिया गया था। आवेदन प्र.पी.01 है। आरोपीगण स्वतंत्र श्रीवास्तव, बलदेव ठाकरे, उम्रपालसिंह, वीरेन्द्र पटले, प्रवीण सालवाल, तारेन्द्र पटले के विरुद्ध आपराध क्रमांक 108 / 2006 अंतर्गत धारा-384, 534 भा.द.वि. की प्रथम सूचना

प्रतिवेदन प्र.पी.02 दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही घटनास्थल का मौका-नक्शा फरियादी के बताये अनुसार मौके पर जाकर बनाया था। मौका-नक्शा प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर फरियादी के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 20.12.2006 को फरियादी राजेश्वर यादव, गवाह सुरेन्द्र यादव, बब्लूसिंह, श्याम सुंदर यादव के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी तारेन्द्र पटले, वीरेन्द्र पटले, इन्द्रपाल सिंह, बलदेव ठाकुर, प्रवीण सारवान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.09 तैयार किया था, जिसके कमशः ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया।

06— साक्षी उपेन्द्र क्षारी अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने फरियादी राजेश्वर यादव के आवेदन प्र.पी.01 के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि प्र.पी.1 की रिपोर्ट फरियादी राजेश्वर यादव द्वारा थाने में आकर लेखबद्ध की गई थी, आरोपीगण के नाम थाने में आकर प्र.पी.01 में जोड़े गये थे। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि प्रार्थी राजेश्वर यादव के द्वारा प्र.पी.1 में किसी भी गवाह का उल्लेख नहीं किया गया था, फरियादी ने घटना के समय व दिनांक का उल्लेख प्र.पी.1 में नहीं किया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि फरियादी के विरुद्ध रजिश्तरी आवेदन लेकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया, प्र.पी-1 पर फरियादी के हस्ताक्षर नहीं हैं। वह नहीं बता सकता कि आर.के. ट्रांसपोर्ट है की नहीं फरियादी प्र.पी-1 पर क्यों नहीं लिया। फरियादी के दिये गये आवेदन पर स्वयं को कंपनी का प्रबंधक लिखा गया है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि साक्षी सुरेन्द्र यादव, श्याम सुंदर के बगैर पूछे अपनी मर्जी से लिखे हैं, प्रथम सूचना प्र.पी.2 में भी गवाहों के नाम दर्ज नहीं हैं। साक्षी के अनुसार

प्रपी.2 प्रतिवेदन, प्रपी.1 की ही नकल है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसने घटनास्थल का मौका-नक्शा आवेदन देने के 02-03 दिन बाद थाने में बैठ कर बनाया था, समस्त आरोपीगण की गिरफ्तारी एक ही दिन थाने में बुलाकर की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी की क्रमशः गिरफ्तारी बनाने में 05-07 मिनट लगता है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि आरोपी की गिरफ्तारी करते समय कोई भी गवाह मौजूद नहीं थे एवं संपूर्ण अनुसंधान उसके द्वारा गलत किया गया है तथा आर.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखाई है।

07— प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। प्रकरण में अभियोजन द्वारा परिवादी राजेश्वर यादव की साक्ष्य नहीं कराई गई है और ना ही किसी अन्य साक्षीगण का परीक्षण कराया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराधों के संबंध में परिवादी सर्वोत्तम साक्षी था, जिसका परीक्षण नहीं कराया जा सका है और ना ही कोई पुष्टिकारक साक्ष्य उपलब्ध है। यद्यपि विवेचना अधिकारी की साक्ष्य विवेचना के संबंध में अखण्डनीय है, परंतु अन्य साक्ष्य के अभाव में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अभियुक्तगण के विधि-विरुद्ध जमाव का सदस्य होकर बल प्रयोग करने के संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी राजेश्वर यादव व आर.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी मलाजखंड में कार्यरत लोगों को 50,000/-रुपए देने के लिए, उन्हें साशय भय में डालकर क्षति कारित करने बेईमानी से उत्प्रेरित कर प्रार्थी राजेश्वर यादव व आर.के. ट्रांसपोर्ट कंपनी मलाजखंड में कार्यरत लोगों को वहां काम से मना करने के लिए जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहे, जिसका सामान्य उद्देश्य कार्य में बाधा डालना था तथा उस जमाव के सदस्य रहते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की

धारा-384, 506, 147 / 34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

08. प्रकरण में कोई संपत्ति पेश नहीं।

09. प्रकरण में अभियुक्तगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट